स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)
उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश

(फोन नं. 0755–4001680, ई–मेलः spdmpwb@gmail.com)

क्रमांक 964 / वि.बैं.परि. / 2020 दिनांक 08 / 09 / 2020

प्रति

महाप्रबंधक
लघु उद्योग निगम
भोपाल, म.प्र.।

विषयः– फर्नीचर प्रदायकर्ताओं हेतु दिशा निर्देश।
संदर्भः दिनांक 07.09.2020 को महाविद्यालयों के साथ आयोजित वेबिनार में हुई चर्चा।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्व बैंक परियोजना अन्तर्गत चयनित 247 महाविद्यालयों को फर्नीचर उपलब्ध कराये जा रहे है, जिसके संबंध में महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं विश्व बैंक परियोजना प्रभारी, लघु उद्योग निगम के अधिकारी तथा प्रदायकर्ता इकाईयों के प्रतिनिधि के साथ दिनांक 07.09.2020 को वेबिनार राज्य परियोजना संचालनालय में आयोजित की गई। महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा एल.यू.एन के अधिकारियों एवं उपस्थित प्रदायकर्ता द्वारा दिये गये सुझाव तथा उनकी कठिनाईयों से अवगत कराया गया, जो कि निम्नानुसार है–

1. फर्नीचर की पैकिंग में सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि सामग्री में खरोच, टूट–फूट आदि न हो सके।
2. थर्ड पार्टी गुणवत्ता होलोग्राम प्रत्येक सामग्री पर लगा होना अनिवार्य है। यदि किसी भी सामग्री में होलोग्राम नहीं होगा तो वह सामग्री महाविद्यालय की प्राप्ति में मान्य नहीं होगा।
3. **उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना सहायतित** ब्रॉडिंग स्टीकर प्रत्येक सामग्री पर लगा होना आवश्यक है।
4. देयक इंडेंटर (Officer on Special Duty, M.P. State Project Directorate, RUSA, Higher Education Dept., MP, Bhopal) भोपाल के नाम से बना होना चाहिए, अन्य के नाम पर बनी हुई देयकों का भुगतान में कठिनाई हो सकती है।
5. देयक पर कार्यालयीन जी.एस.टी. क्रमांकः 23BPLD 1632BDX अंकित होना अनिवार्य है।
6. कनसाईनी महाविद्यालयों को सामग्री डिलिवरी के साथ डिलिवरी चालान, थर्ड पार्टी गुणवत्ता सर्टिफिकेट, इनवाइस / देयक आदि तीन प्रतियों मे अनिवार्यतः उपलब्ध करायें।
7. महाविद्यालय प्राप्त देयकों का परीक्षण कर समस्त दस्तावेजों को तीन दिवस में मूल प्रति के साथ दो प्रति में राज्य परियोजना संचालनालय कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त सभी निर्देशों का प्रदायकर्ताओं द्वारा कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

आयुक्त
उच्च शिक्षा

पृ.क्रमांक / 965 / वि.बैं.प. / 2020 दिनांक 08 / 09 / 2020

प्रतिलिपिः–

1. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा की ओर सूचनार्थ एवं चाही गई समस्त जानकारियॉ संबंधित महाविद्यालयों द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित प्राचार्य, शास. महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. संबंधित प्रदायकर्ता, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा